2. ऐच्छिक विवाह
(*Choice marriage*)

इस प्रकार के विवाह में जाति, सम्प्रदाय तथा परिवार की कुलीनता आदि को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है। इसे ही कानूनी या नागरिक विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह को सरकार एवं राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, परन्तु समाज इसे मान्यता दे यह कोई जरूरी नहीं है। ऐसे विवाहों में पति-पत्नी को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने तथा एक-दूसरे से अनुकूल, न का सबसे अधिक अवसर मिलता है। परन्तु पति-पत्नी को अधिक सामाजिक समायोजन की समस्या होती है। प्राचीन काल में इस प्रकार के विवाह को गन्धर्व विवाह कहा जाता था।

Scanned with CamScanner

वर्त्तमान युग में विवाह का पहला परिवेश रोमांटिक प्रेम के आधुनिक स्तर पर आधारित है जो सामाजिक भावना वर्त्तमान शिक्षा और औद्योगीकरण का परिणाम है। इस प्रकार ऐच्छिक विवाह में विवाह को एक संयोग न मानकर उसे स्त्री-पुरुष का सुविधापूर्वक बंधन माना जाता है। इस विचारधारा के कारण विवाह से पहले ही लड़का-लड़की एक-दूसरे के सम्पर्क में आ जाते हैं। वर्त्तमान युग में बढ़ती आबादी, गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए समाज के हित में ऐच्छिक विवाह अधिक उपयुक्त माना जाने लगा है।

लाभ
(Advantages)

(i) स्वतन्त्रता : लड़का-लड़की अपने जीवन-साथी के चुनाव में पूरी तरह स्वतन्त्र रहते हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप करना वे पसंद नहीं करते हैं। इसमें लड़का-लड़की की इच्छा के बिना विवाह सम्पन्न नहीं होता है। साधारणतः ऐसे विवाह में पति-पत्नी की योग्यता, रुचि, शिक्षा और आयु में अधिक अंतर नहीं होता है जिसके फलस्वरूप समाज में वे वैवाहिक समस्याएँ पैदा नहीं होतीं जो सुनियोजित विवाह के द्वारा विगत कई वर्षों से होती चली आ रही हैं। स्वतन्त्रता के कारण वे लोग एक-दूसरे की भावना को अच्छी तरह समझ पाते हैं।

(ii) अन्तर्जातीय विवाह : ऐच्छिक विवाह में जाति आदि का कोई बन्धन नहीं होता है जिसके फलस्वरूप हमारे समाज, में सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद का अन्त हो जाता है। हमारा दृष्टिकोण संकुचित न होकर विस्तृत हो जाता है। इससे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है। इस प्रकार अन्तर्जातीय विवाह द्वारा समाज की बहुत सारी समस्या सुलझ सकती हैं। वर्त्तमान समय में इस प्रकार के विवाह को काफी सफलता और प्रोत्साहन मिल रहा है।

(iii) दहेज प्रथा का अंत : दहेज समाज का बहुत बड़ा अभिशाप है, जब तक यह बीमारी दूर नहीं होती, समाज देश, राष्ट्र, का विकास भली-भाँति सम्भव नहीं है। ऐच्छिक विवाह के द्वारा इस प्रथा का अन्त सम्भव है। क्योंकि इसमें दहेज आदि का झंझट नहीं होता। यह इस प्रकार की कुरीति से मुक्त है। इसमें भावना की कदर होती है पैसे की नहीं। नहीं हेज लेना या देना कानून जुर्म भी है।

(iv) आर्थिक निर्भरता : ऐच्छिक विवाह प्रायः तभी होते हैं जब लड़का-लड़की आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर रहते हैं। वे लोग माता-पिता पर भार नहीं बनते, उनसे किसी सहायता की उम्मीद नहीं रखते। ऐसे विवाह व्यक्तिवाद और एकाकी परिवारों को प्रोत्साहन देते हैं। वास्तव में यह दो व्यक्तियों का सम्बन्ध है, दो परिवारों का नहीं। वास्तविकता तो यह है कि प्रेम-भावना अपने-आप में एक उद्वेग है, जिसमें तर्क और विवेक का अधिक महत्त्व नहीं है।

(v) कानूनों की रक्षा : यह विवाह ज्यादातर कोर्ट या मंदिर में किये जाते हैं जिसमें कानूनों की पूरी रक्षा की जाती है। लड़के का 21 वर्ष तथा लड़की के 18 वर्ष पूरा होने पर ही कोर्ट या मन्दिर ऐसे विवाह को मान्यता देते हैं। इस प्रकार बाल-विवाह प्रथा का स्वतः अन्त हो जाता है।

Scanned with CamScanner

दोष
(Disadvantages)

उपर्युक्त लाभों के बावजूद इसमें अधिकांश खामियाँ भी हैं :

परम्पराओं की अवहेलना : ऐच्छिक विवाह में परम्पराओं की अवहेलना होती है क्योंकि यहाँ धर्म, संस्कार, पूजा-पाठ आदि को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता है। इससे हमारी परम्परागत संस्कृति, विशेषताओं और सामाजिक मूल्यों के सामने गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

ऐसे विवाह व्यक्तिवाद और एकाकी परिवार को प्रोत्साहन देते हैं जिससे संयुक्त परिवार को बनाए रखना कठिन हो जाता है। तर्क एवं विवेक के अभाव में परिवार भी साधारणतः स्थायी जीवन व्यतीत नहीं कर पाते।

ऐसे विवाह में प्रायः लड़का-लड़की के बीच अनुभवों की कमी होती है। प्रायः शारीरिक आकर्षण पर ही प्रेम-विवाह होते हैं। प्रारम्भ में वैवाहिक जीवन काफी आनन्दपूर्वक व्यतीत होता है परन्तु जब पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ता है तब आपसी समायोजन डगमगा जाता है। दोनों पक्ष अपने-अपने अधिकारों का दावा करते हैं जबकि उनमें कर्त्तव्य का बोध बहुत कम होता है।

इस प्रकार के विवाह में तलाक की सम्भावना ज्यादा रहती है। विवाह के पूर्व और बाद में पति-पत्नी की स्थिति में काफी भिन्नता आ जाती है, इससे वैवाहिक सम्बन्धों में स्थिरता कम हो जाती है। जहाँ ऐच्छिक विवाह जितने ही अधिक होते हैं, वहाँ विवाह-विच्छेद की संख्या उतनी ही अधिक है। पति-पत्नी में कर्त्तव्य से ज्यादा अधिकार का बोध होता है, यही तलाक का कारण है।

ऐसे विवाह से बँधे पति-पत्नी में सामाजिक समायोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, चूँकि समाज द्वारा उन्हें इस प्रकार की शादी की मान्यता नहीं के बराबर दी जाती है। इस कारण आपसी मतभेद होने पर भी समाज उनकी मदद नहीं करता। समाज से उन्हें व्यंग्य सुनना पड़ता है, पति सोचता है कि पत्नी के कारण यह व्यंग्य सुनना पड़ रहा है और पत्नी इसके विपरीत सोचती है और इस तरह दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता रहता है।

वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए सहानुभूति एवं त्याग की आवश्यकता होती है, परन्तु ऐच्छिक विवाह में त्याग का अभाव रहता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह नहीं समझना चाहिए कि प्रेम-विवाह वैवाहिक सम्बन्धों की स्थिरता को हमेशा प्रतिकूल रूप से ही प्रभावित करता है, यदि पति-पत्नी एक-दूसरे की भावना, परस्पर प्रेम-त्याग आदि को समझें तो ऐच्छिक विवाह को भी सुनियोजित विवाह के समान ही मान्यता दी जा सकती है।

निष्कर्षतः, ऐच्छिक एवं सुनियोजित दोनों प्रकार के विवाह में लाभ एवं हानि दोनों ही हैं। अच्छा यही होगा कि विवाह में लड़का-लड़की की पसंद एवं राय के साथ-साथ माँ-बाप की भी राय जान ली जाय क्योंकि अभिभावक अपने अनुभवों के आधार पर जीवन की वास्तविकता को देखते हुए विवाह के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

Scanned with CamScanner